न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/75/2021	2021/194	08.10.2021	23.07.2024

1.श्रीमती रामवती पत्नी खिल्लू जाति जाटव, उम्र करीब 48 साल, निवासी ग्राम निभेडा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर (राज०)।

––अपीलान्ट

बनाम

1.सुरेश सिंह पुत्र श्री तेज सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम निभेडा, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर, राजस्थान ।

––रेस्पोडेन्ट

अपील राजस्व विरूद्ध आदेश दिनांक 08.12.2015 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट न्यायालय तहसीलदार साहब लक्ष्मणगढ, जिला अलवर द्वारा बेजा व गलत तौर पर प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया जिसके विरूद्ध निरस्त किये जाने आदेश व स्वीकार किये जाने अपील अपीलांट।

उपस्थितः–

01.श्री रज्जन कुमार सिद्ध –वकील अपीलाण्ट

02.विशम्भर दयाल गुप्ता –वकील रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ के आदेश दिनांक 08.12.2015 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट के विरूद्ध पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्य के विपरीत है जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीनी रामवती ने हाल ख.नं. 749/281 रकबा 1.01 दिनांक 28.09.04 को जरिये वैयनामा खरीद किया तथा इसी प्रकार हाल ख.नं. 750/281 रकबा 1.01 की आराजी दिनांक 05.09.07 को जरिये बेयनामा खरीद की। वक्त खरीद से उक्त खसरा नम्बरान की प्रार्थीनीध्अपीलांट मालिक, काबिज, काश्तकार, रिकार्डेड खातेदार रहकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। चूंकि उक्त खसरा नम्बरान की अपीलांट मालिक थी व रिकार्डेड खातेदार थी इस बात पर लायक अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया जो काबिलगौर श्रीमान है। प्रार्थीनी ने लायक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि उक्त खसरा नम्बरान की आराजी के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सुरेश ने 1 बीघा जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है जिस कब्जे को हटवाकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

प्रार्थी/अपीलांट को दखल दिलाया जावे। जिससे लायक अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त खसरा नम्बरान की मौके पर पैमाईश नहीं कराई और ना ही अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के नाजायज कब्जे पर गौर किया और ना ही इस बाबत प्रार्थी/अपीलांट की मौखिक व दस्तोवजी साक्ष्य पर गौर किया जो अदालत गौर श्रीमान है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/रेस्पोडेंट ने अपना जवाब पेश किया स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया कि प्रार्थीनी/अपीलांट ने उक्त खसरा नरम्बरान को जर्ये वैयनामे से खरीद किया है और प्रार्थी/अपीलांट उक्त खसरा नम्बरान की रिकार्डेड खातेदार व मालिक है। चूंकि रेस्पोडेन्ट की यह स्पष्ट रूप से स्वीकारोक्ति थी जो एडमिशन इज दा बेस्ट एविडेन्स की श्रेणी में आती है जिस पर लायक अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। जो अदालत गौर श्रीमान है। ग्राम निभेडा के मौलिया मय रिकार्ड व जरीब के साथ अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.11.14 को लायक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की और पेश कर अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्ज किये की आराजी ख.नं. 281 के वर्तमान में चार खसरा नम्बरान है। जो इस प्रकार है कि आराजी ख.नं. 749/281 रकबा 1.01 में प्रार्थीनी श्रीमती रामवती 34/63 हिस्से पर काबिज है व अन्य में गोपाल पुत्र परभाती, सुमित्रा पुत्री इंदर, भौरी पुत्री मंगल, भंगी काबिज है व ख.नं. 750/281 रकबा 0.01 हैक्टर पर सम्पूर्ण रूप से प्रार्थीनी श्रीमती रामवती ही काबिज है तथा ख.नं. 748/281 पर सिवायचक दर्ज है व 751/281 पर चारागाह की भूमि दर्ज है तथा हल्का मौलिया द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट प्रार्थना की गई की उक्त खसरा नम्बरो की पैमाईश अकेले हल्का पटवारी या मौलिया से नहीं हो सकती, टीम गठित कर पैमाईश कराई जा सकती है। जिन तथ्यों पर लायक अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया, जो अदालत गौर श्रीमान है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी ने दिनांक 20.04.2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस रिपोर्ट में न्यायालय के समक्ष लिखित में यह प्रार्थना की कि सम्पूर्ण खसरा आबादी का है। जिस पर लोग सही तरीके से काबिज नहीं है और भौगोलिक कठिनाई की वजह से पैमाईश व तरमीम किया जाना सम्भव नहीं है तथा उक्त खसरा नम्बरान 749/281 व 750/281 पर प्रार्थीनीध्अपीलांट रामवती का कब्जा है व रामवती ही उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग कर रही है। जो उसकी खरीदशुदा है। जिस तथ्य पर लायक अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। जो अदालत गौर श्रीमान है।

हल्का मौलिया की रिपोर्ट दिनांक 21.11.14 व पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.04.15 दोनों रिपोर्ट में ही पैमाईश नहीं हुई और दोनों ही सरकारी कर्मचारियों ने लायक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पैमाईश कराये जाने की असमर्थता जाहिर की और लायक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट के माध्यम से यह तथ्य रखा कि अप्रार्थीध्रेस्पोडेंट का उक्त खसरा नम्बरान के कुछ हिस्से पर नाजायज कब्जा है जो लायक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गौर श्रीमान था जिस पर गौर नहीं किया गया। जो लायक अधिनस्थ न्यायालय की अहम कानूनी भूल थी। जो अदालत गौर श्रीमान है। अपने पति का शपथ पत्र व गांव के अन्य

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

स्वतंत्र व्यक्तियों के शपथ पत्र इस आशय के लायक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये उक्त खसरा नम्बरान की प्रार्थीनी मालिक है व अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बरान के कुछ हिस्से पर पश्चिम दिशा में नाजायज कब्जा किया हुआ है। जो शपथ पत्र रामवती, खिल्लूराम, हुकमचंद, हरबक्स, ओमप्रकाश, हरिसिंह, नत्थूराम के पेश किये गये। जिन पर लायक अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। जो अदालत गौर श्रीमान है। अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट सुरेश की आराजी ख.नं. 393 की पैमाईश मौके पर नहीं कराई और ना ही मौके पर हल्का पटवारी व हल्का मौलिया से कोई रिपोर्ट ली जो लायक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्य गौर करने लायक था जिस पर गौर नहीं किया।

प्रार्थीनी द्वारा विवादित आराजी ख.नं. 749/281 रकबा 0.01 हैक्टर, 750/281 रकबा 0.01 हैक्टर जिसका खाता सं. 257 सम्वत् 2069–2072 के अनुसार कृषक प्रार्थीनी श्रीमती रामवती पत्नी खिल्लू जाति जाटव निवासी ग्राम साकिन देह खातेदार थी। जो उक्त खसरा नम्बरान की आराजी की मालिक थी तथा प्रार्थीनी द्वारा उक्त पत्रावली पर विवादित आराजी से सम्बन्धित जमाबन्दिया पेश की जो माननीय अदालत द्वारा गौर नहीं की गई। जो न्यायालय श्रीमान गौर अदालत है। प्रार्थीनी/अपीलांट रामवती अनुसूचित जाति/जनजाति की गरीब महिला है जिससे यह तथ्य स्पष्ट रूप से निर्विवाद है कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अनुसूचित जाति व जनजाति की आराजी पर किसी भी दीगर शख्स का कब्जा अवैध माना जाता है। जो तथ्य अहम व महत्वपूर्ण था जिस तथ्य पर लायक अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। जो माननीय न्यायालय के समक्ष गौर श्रीमान है। अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम निभेडा के पटवारी हल्का व भू. निरीक्षक की रिपोर्ट भी मंगवाई थी लेकिन उस रिपोर्ट पर कतई भी गोर नहीं किया गया। जबकि पटवारी हल्का व भू निरीक्षक ने स्पष्ट तौर पर अपनी रिपोर्ट में यह दर्ज किया कि आबादी का क्षेत्र है और आराजी की पैमाईश सम्भव नहीं है। लेकिन बिना पैमाइश के लायक अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में अपना आदेश पारित कर दिया। जबकि आदेश पारित करने से पूर्व उक्त विवादित आराजी की पैमाईश कराया जाना न्याय संगत व न्यायोचित था लेकिन ऐसा नहीं किया जो माननीय न्यायालय की एक बहुत ही अहम कानूनी व तथ्य की भूल थी जो माननीय न्यायालय के समक्ष गौर श्रीमान है।

अतः अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टान, बहक अपीलान्ट व विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार की जाकर विवादित आदेश दिनांक 08.12.15 धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट खारिज फरमाते हुए व प्रार्थीनी/अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने की कृपा करे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीधे ही बहस करना चाहता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा निर्णय को गम्भीरता से नहीं लिया गया है। मौके की रिपोर्ट लेने के प्रति तहसीलदार एवं अधीनस्थ राजस्व कार्मिक गम्भीर नहीं पाये गये हैं। बार–बार टालने की रणनीति पत्रावली के अवलोकन से प्रमाणित है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183 बी में दर्ज प्रकरण में पीठासीन अधिकारी को बहुत संवेदनशील होकर कार्य करने की आवश्यकता होती है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अपील स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा प्रकरण संख्या 03/2014 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2015 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार लक्ष्मणगढ को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण दर्ज कर, प्रकरण में नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में राजस्व टीम का गठन कर मौके की राजस्व रिकॉर्डानुसार विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करें। दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए 45 दिवस में विस्तृत निर्णय पारित कर अग्रिम कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान सरकार